

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चांदन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीपेन्द्र कुमार यादव
R. A. S

सिरदाराराम पुत्र श्रीपारम
जाति जाट नि. साईपोस्ट
तला

उनवान
बनाम

श्रीया पि. केशव कौरा
जाति जाट नि. साईपोस्ट
तला

दावा बाबत 88 R.A.S

मुकदमा नम्बर :- 160/18

निर्णय दिनांक :- 29.6.18

वादी की ओर से सिरदाराराम की व प्रतिवादी की ओर से श्रीया की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, चांदन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वार कापसा सहमतिपत्रकार का गैजा साईपोस्ट तला
746, 749 इमि में वादी का नाम पदमाराम केशव नपट
शुद्ध नाम सिरदाराराम दुर्जन कौरा की घोषणा की जाती है
निर्णय की पालना का तटलिलता चांदन के
आदेश दिया जाता है

खर्ची पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(श्रीपेन्द्र कुमार यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....